

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
जस्व वाद संख्या :-244/2024

1. परविन्द्र सिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. हरविन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम

1. बलवंतसिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसकरणसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जसपाल सिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र सिंह गिल पुत्र बलवंतसिंह गिल जाति जटसिख निवासी 12 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सिमरजीत कौर पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी सिकन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी डाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. गगनदीप कौर पुत्री जसकरणसिंह पत्नी परमिन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीड तलाब रोड बठिण्डा पंजाब।
7. अमनदीपकौर पुत्री जसपालसिंह पत्नी सकन्दरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 03.09.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.09.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 परविन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/314(19) किला नम्बर 4/1/0.190, 4/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 4/3/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 5/1/0.190, 5/2/0.038 हैक्टर रास्ता, 5/3/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 7/0.253 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 नरेन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 45/45 में अंकित 0.759 हैक्टर।


(ग) वादी संख्या 3 हरविन्द्र सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 192/313(18) किला नम्बर 15/1/0.228, 15/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 16/1/0.228, 16/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, 25/1/0.228, 25/2/0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 45/45 व चक नम्बर 14 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 66/59 में से बलवन्तसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरभुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---